न्यायालय श्रीमान रजिस्ट्रार मंडल कैम्प भोपाल / कमिश्नर

फुलना व अन्य — प्रकरण क्र. 1914/ - - 113

अपीलार्थी (30)

विरुद्ध

बलवान सिंह व अन्य — अनावेदक

इस्थे०/1642/II-I/14

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35(3) प्रकरण [illegible]

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है,

16.4.14 को प्राप्त — 1:- यह कि आवेदक की अपील निगरानी आज माननीय न्यायालय में एकपक्षीय जैसे [illegible] आवाज लगाई गई जिस समय आवेदक उपस्थित नहीं हो पाया व बाद में अनुपस्थिति की वजह से अपील खारिज कर दी गई।

2:- यह कि चूंकि आवेदक न्यायालय में उसके बाद भी न्यायालय में उपस्थित होने पर ज्ञात हुआ कि अपील आदेश हो गया है

3:- यह कि आ. कारण सद्भावनापूर्ण एवं क्षमा योग्य है जिससे विलम्ब के कारण पर अपील खारिज हुई है, ग्राह्य किया जाना आवश्यक है

प्रार्थना

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि कारणों से आवेदक द्वारा उपस्थित न होने के कारण से आदेश निरस्त कर अपील विलम्ब क्षमा कर अपील को पुनः सुनवाई हेतु ग्राह्य किया जाकर कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

भोपाल

दिनांक 16/04/14

आवेदक (हस्ताक्षर) 16/4

द्वारा अधिवक्ता

शुक्ला / तरवतसिंह
रेस्टो 1642/I/14 (सिविल) (1)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
27-1-14	आवे० अधि० श्री बी.एन. मिश्रा एवं अना. अधि० श्री अनोज उपस्थित हुए। उभय पक्ष को रेस्टोरेशन आवेदन-पत्र पर सुना। विचारोपरांत प्रकरण रेस्टोर किया जाता है। मूल प्रक्र० R/914/88/13 पुनः सुनवाई में लिया जाता है। यह प्रकरण समाप्त होकर दाखिल किया जाता है। (हस्ताक्षर)	

शाक्षेमुग्वा-80-फासेग्वा-15-6-10-5,000 प्रपत्र.